भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1274
(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

एमएसएमई ऋणदाताओं का संरक्षण

1274. सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में एनसीएलटी प्रक्रिया में, समाधान हेतु सीओसी (ऋणदाताओं की समिति) में केवल सावधि ऋण या वरिष्ठ ऋणधारक ही शामिल होते हैं;

(ख) क्या सीओसी में परिचालन ऋणदाताओं के प्रतिनिधित्व हेतु कोई अधिदेश नहीं है;

(ग) क्या एमएसएमई ऋणदाताओं को समाधान प्रक्रिया में कुछ नहीं मिलता और उन्हें सबसे अधिक नुकसान होता है; और

(घ) आईबीसी कार्यवाही में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले एमएसएमई ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) की धारा 21 में प्रावधान है कि लेनदारों की समिति (सीओसी) में कारपोरेट देनदार (सीडी) के सभी असंबंधित वित्तीय लेनदार (एफ़सी) शामिल होंगे।

(ख): संहिता की धारा 24(3) में प्रावधान है कि परिचालन लेनदारों (ओसी) अथवा उनके प्रतिनिधियों को सीओसी की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जहां उन पर बकाया कुल देय राशि कुल ऋण के 10% से कम नहीं होती है। तथापि, ऐसी परिचालन लेनदारों (ओसी) को समिति की बैठकों में मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ग) और (घ): संहिता का उद्देश्य सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना है। यह एमएसएमई सहित परिचालन लेनदारों को सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है, जिससे पूरे सीआईआरपी में उचित व्यवहार सुनिश्चित होता है। इस संबंध में मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(i) सीआईआरपी आरंभ करने का अधिकार: संहिता की धारा 9 परिचालन लेनदारों को सीडी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का सांविधिक अधिकार प्रदान करती है।

(ii) न्यूनतम हकदारी: संहिता में समाधान योजना के तहत ओसी के लिए न्यूनतम हकदारी का प्रावधान है जैसे कि ओसी को भुगतान धारा 53 के तहत परिसमापन में प्राप्त होने वाले भुगतान से कम न हो।

(iii) सीओसी में प्रतिनिधित्व: संहिता की धारा 21 के तहत, सीओसी में सीडी के सभी असंबंधित एफसी शामिल हैं। तथापि, जहां सीडी का कोई वित्तीय ऋण नहीं है, या जहां इसके सभी एफसी संबंधित पक्ष हैं, सीओसी में मूल्य के हिसाब से अठारह सबसे बड़े ओसी शामिल होंगे, बशर्ते कि यदि ओसी की संख्या अठारह से कम हो, तो सीओसी में ऐसे सभी ओसी शामिल होंगे।

(iv) संहिता में छठे संशोधन (2021) के माध्यम से, मामलों के फास्ट-ट्रैक समाधान के लिए कारपोरेट एमएसएमई के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (पीपीआईआरपी) पेश किया गया था। संहिता की धारा 29क के खंड (ग) और (ज) के प्रावधान, जो कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से रोकते हैं, एमएसएमई पर लागू नहीं होते हैं।

*****